संख्या-2/2017/ 29/ अड़तीस-5-17-27 बजट/2016

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2017

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 में धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 637/डब्लू-409(।।।) / 2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या-डब्लू-11020/ 2/2016/ वाटर-।/130, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बैक्टेरियोलाजिकल कन्टामिनेशन (जे0ई0/ए0ई0एस0) मद में भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश रू0 2105.42 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 2105.42 लाख अर्थात कुल रू0 4210.84 लाख (रूपये बयालीस करोड दस लाख चौरासी हजार मात्र)की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 13 में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में))

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	अवमुक्त की जा रही धनराशि (के0 एवं रा0)
1	बैक्टेरियोलाजिकल कन्टामिनेशन 0ई0जे)/ए0एस0ई0)	**2105.42**	**2105.42**	**4210.84**

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 4210.84 लाख (रूपये बयालीस करोड दस लाख चौरासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

I. धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोगाम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
III. वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या-डब्लू-11020/ 2/2016/ वाटर-।/130, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0 डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 2/2017/29 (1)/अड्तीस-5-17, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in